

अनुदान संख्या 47 - आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

GRANT No. 47-DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,
SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	919,75,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
		919,77,00	861,43,07	-58,33,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			56,68,51
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	2,25,00	9,50	-2,15,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,55,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	83549.00		
पू.	S.	1.00	85276.67	85112.47
उ.	R.	1726.67		-164.20

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष "2552"
उत्तर पूर्वी क्षेत्र

Head
Major Head "2552"
North Eastern Areas

मू.	O.	7340.00			
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-7341.00			

(I) 7411.00 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7291.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.7411.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these Rs.7291.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियों - अन्य पद्धतियां" -

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines – Other Systems" –

(क) "आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास" - 250.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(a) "Development of common facilities for AYUSH Industry Clusters" – Rs.250.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern Region.

(ख) "चिकित्सीय पौधों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना" - 600.00 लाख रु.;

(b) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" – Rs.600.00 lakhs;

(ग) "आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम" - 1550.00 लाख रु.;

(c) "Scheme for AYUSH Hospitals" – Rs.1550.00 lakhs;

(घ) "आयुष औषधालयों के लिए स्कीम" - 550.00 लाख रु.;

(d) "Scheme for AYUSH Dispensaries" – Rs.550.00 lakhs;

(ङ) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन" - 801.00 लाख रु. (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;

(e) "National Mission on Medicinal Plants" – Rs.801.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010);

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां" -

(B) "Medical Education, Training and Research – Other Systems" –

- | | |
|---|--|
| (क) "पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट" - 300.00 लाख रु.; | (a) "North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" – Rs.300.00 lakhs; |
| (ख) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" - 1000.00 लाख रु.; | (b) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" –Rs.1000.00 lakhs; |
| (ग) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 125.00 लाख रु.; | (c) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" – Rs.125.00 lakhs; |
| (गा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद" - | (C) "Medical Education, Training and Research – Ayurveda" – |
| (क) "आयुष संस्थानों/कालेजों का विकास और उन्नयन" - 500.00 लाख रु.; | (a) "Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges" – Rs.500.00 lakhs; |
| (ख) "केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 600.00 लाख रु.; | (b) "Grants to Central Council for Research in Ayurveda and Siddha" – Rs.600.00 lakhs; |
| (घा) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - निदेशन और प्रशासन - सूचना, शिक्षा एवं संचार पर व्यय" - 300.00 लाख रु.; | (D) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Direction and Administration – Expenditure on Information, Education and Communication" – Rs.300.00 lakhs; |
| (ड) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 400.00 लाख रु.; और | (E) "Medical Education, Training and Research – Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" – Rs.400.00 lakhs; and |
| (चा) " चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 315.00 लाख रु.। | (F) "Medical Education, Training and Research – Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" – Rs.315.00 lakhs. |

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads:-

- (का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां” -
- (क) “निदेशन और प्रशासन - आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठी कार्यशाला पर व्यय” - 1487.21 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “आयुर्वेद” -
- (i) “केंद्रीय परिषद के संयुक्त भवन परिसर को अनुदान” - 139.00 लाख रु. की बचत (246.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “आयुष, सिद्ध और यूनानी पर भेषज संग्रह समिति का उन्नयन और एकीकृत भेषज संग्रह आयोग का सृजन” - 244.55 लाख रु. की बचत (440.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (iii) “अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली” - 500.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने की वजह से उत्खनन के कार्य में विलंब होने के कारण हुई।
- (ग) “अन्य पद्धतियां” -
- (i) “अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्धसरकारी/सरकारी/ विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन) आदि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान” - 153.63 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना मूल्यांकन/तकनीकी/जांच समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच करने में विलंब होने के कारण हुई।
- (A) “Urban Health Services – Other Systems of Medicines” –
- (a) “Direction and Administration – Expenditure on International Exchange Prog/Seminar Workshop on AYUSH” – saving of Rs.1487.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to economy measures.
- (b) “Ayurveda” –
- (i) “Grants for Central Council’s Combined Building Complex” – saving of Rs.139.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.246.00 lakhs) was due to delay in execution of the project by Central Public Works Department.
- (ii) “Upgradation of Pharmacopoeia Committee on ASU and Creation of Unified Pharmacopoeial Commission” – saving of Rs.244.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.440.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of sufficient proposals and economy measures.
- (iii) “All India Institute of Ayurvedic (AIIA), New Delhi” – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to delay in excavation work owing to delay in grant of approval by Delhi Development Authority.
- (c) “Other Systems” –
- (i) “Grants for Extra Mural Research Projects through Research Instt. (Pvt./Semi Govt./ Govt./Universities/NGO) etc.” – saving of Rs.153.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to delay in screening of proposals by Project Evaluation/Technical/Screening Committee.

- (ii) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना" - 414.31 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयुष संस्थाओं से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (iii) "आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास" - 596.32 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने कारण हुई।
- (iv) "आयुष औषधालयों के लिए स्कीम" - 2549.64 लाख रु. की बचत (4950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (v) "आयुष अस्पतालों और औषधालयों में अतिरिक्त संघटक - तकनीकी अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सालयों/आई पी डी की स्थापना के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के लिए स्कीम" - 488.01 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -
- (क) " आयुर्वेद" -
- (i) "स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान" - 115.06 लाख रु. की बचत (2690.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ii) "आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण" - 414.53 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

- (ii) "Setting up of National Board for Medicinal Plants" - saving of Rs.414.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals from the AYUSH Institutions.
- (iii) "Development of Common facilities for AYUSH Industry clusters" - saving of Rs.596.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.
- (iv) "Scheme for AYUSH Dispensaries" - saving of Rs.2549.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4950.00 lakhs); and
- (v) "Additional component in AYUSH Hospitals and Dispensaries - Scheme for public-private partnership for setting up of speciality clinics/IPDs in technical hospital" - saving of Rs.488.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate viable proposals.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

- (a) "Ayurveda" -
- (i) "Grants to Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar" - saving of Rs.115.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2690.00 lakhs) was due to economy measures.
- (ii) "Quality Control of ASU&H Drugs" - saving of Rs.414.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs)

- राज्य/पणधारियों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (iii) “आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन” - 2000.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) “यूनानी - राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को अनुदान” - 223.84 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।
- (ग) “अन्य पद्धतियां” -
- (i) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान” - 200.00 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “प्रशिक्षण/अतिथि अध्येतावृत्ति/प्रदर्शन/उन्नयन के लिए कार्यक्रम” - 114.72 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से वृत्तिका में वृद्धि किए जाने के दावे प्राप्त न होने कारण हुई।
- (iii) “आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता” - 810.98 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (III) दो शीर्षों के अंतर्गत 144.06 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान
- was due to non-receipt of appropriate proposals from State/Stake holders.
- (iii) “Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges” – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate viable proposals as per norms laid down by Central Council of Indian Medicine.
- (b) “Unani – Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore” – saving of Rs.223.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (c) “Other Systems” –
- (i) “Grants to National Institute of Siddha, Chennai” – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to delay in execution of the project by Central Public Works Department.
- (ii) “Programme for Training/visit Fellowship/exposure/upgradation” – saving of Rs.114.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Indian Council for Cultural Relations for increase in the stipend.
- (iii) “Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/ Drug Development and Research/Clinical Research/Folk Medicine etc.” – saving of Rs.810.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.
- (III) Under two heads savings of Rs.144.06 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs

का 23 प्रतिशत और 44 प्रतिशत थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10862.87 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" -

(क) "निर्देशन और प्रशासन - सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय" - 291.00 लाख रु.।

(ख) "अन्य पद्धतियां" -

(i) "आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम" - 7254.30 लाख रु.;

(ii) "राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन" - 2794.53 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2794.42 लाख रु. था।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -

(क) "आयुर्वेद" -

(i) "राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान" - 143.00 लाख रु.।

(ii) "राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुदान" - 117.31 लाख रु.।

(ख) "होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद" - 262.73 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 262.70 लाख रु. था।

and constituting 23 percent and 44 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.10862.87 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2210" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines" -

(a) "Direction and Administration - Expenditure on Information, Education and Communication" - Rs.291.00 lakhs.

(b) "Other Systems" -

(i) "Scheme for AYUSH Hospitals" - Rs.7254.30 lakhs.

(ii) "National Mission on Medicinal Plants" - Rs.2794.53 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2794.42 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Ayurveda" -

(i) "Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur" - Rs.143.00 lakhs.

(ii) "Grants to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi" - Rs.117.31 lakhs.

(b) "Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - Rs.262.73 lakhs. Actual excess, however, was Rs.262.70 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) "आयुर्वेद - केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 450.00 लाख रु. का अधिक व्यय (13400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 249.44 लाख रु. का अधिक व्यय (6785.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) "अन्य पद्धतियां" -

(क) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - 112.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" - 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जिसमें पूरे व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research" - under the following heads:-

(A) "Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurveda and Siddha" - excess of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13400.00 lakhs);

(B) "Unani - Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - excess of Rs.249.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6785.00 lakhs);

(C) "Other Systems" -

(a) "Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy" - excess of Rs.112.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs); and

(b) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - excess of Rs.600.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.60.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	225.00		
			70.00	9.50
पु.	R.	-155.00		-60.50

(I) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - भारतीय चिकित्सा भेषज संग्रह प्रयोगशाला, गाजियाबाद" के अंतर्गत 215.50 लाख रु. की बचत (225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Medical Education, Training and Research – Ayurveda – Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad" – saving of Rs.215.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.00 lakhs) was due to delay in execution of the project by Central Public Works Department.